

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक- अक्टूबर 04, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 76 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों का अन्तर्गत धारा-107/116 सीआरपीसी में चालान मा0 न्यायालय कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आम जनमानस को पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही* -**

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुनील पुत्र रामचन्द्र जायसवाल नि0 शाहाबाद थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेश पुत्र रामचन्द्र नि0 खैराटी थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 11शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 146/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त घनश्याम पुत्र चन्दन नि0 महुअवां अड्डा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0न्यायालय किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट मे की गयी कार्यवाही

थाना पुरंदरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त साहिल हाशमी पुत्र अज्ञात नि0 मधुकरपुर थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/21 धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट मे दर्ज कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 03/04-10-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 20 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।